फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पारस कंवर बनाम पुष्पेन्द्र कंवर

किस्म मुकदमा 223 मुकदमा नंबर 14 सन 21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.03.2021	वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2010 नया 75/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2011 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में पूर्व में कप्तानसिंह वगैरा द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 05/2015 प्रस्तुत की गई थी, जिस पर हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2020 द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई है। उक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत अपील संख्या 05/2015 से संबधित वादग्रस्त आराजी के संबध में अपील प्रस्तुत की है, जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी के संबध में पूर्व मे हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में अपील स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री अपास्त किया जा चुका है। ऐसी परिस्थितियो मे एक ही आराजी के संबध में पुन निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं होगा। अत हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में राजस्व अपील संख्या 05/2015 बउनवान कप्तानसिंह वगैरा बनाम पुष्पेन्द्रकंवर वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2020 उक्त प्रकरण पूर्णतया लागू होगा एवं उक्त निर्णय के साथ उक्त अपील प्रार्थना पत्र को भी हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय राजस्व अपील संख्या 05/2015 बउनवान कप्तानसिंह वगैरा बनाम पुष्पेन्द्रकंवर वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2020 का अभिन्न अंग माना जावे एवं पूर्व में पारित निर्णय के अनुसार पढा व समझा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	